भार मुक्ति प्रमाणपत्र

निर्धारित फार्म (देखें पब्लिक यूटिलिटी फार्मस)अध्याय–11(ख) पर आवेदन करने तथा नियमानुसार शुल्क अदा करने के पश्चात बारह वर्षीय भारमुक्ति प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है, यह प्रमाणपत्र साधारण, आवश्यक तथा अति आवश्यक प्रार्थनापत्र पर निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा स्वयं निरीक्षण कर उक्त प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। किसी अचल सम्पत्ति के क्रय करने अथवा बन्धक रखने के पूर्व भारमुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना सदैव हितकारी होता है।

नकल(सत्यापित प्रतलिपि)

नकल हेतु निर्धारित फार्म देखें(पब्लिक यूटिलिटी फार्म्स),अध्याय–11 (क)पर आवेदन करने तथा नियमानुसार शुल्क अदा करने के पश्चात् लेखपत्र की सम्बन्धित बहियों में की गयी प्रतिलिपि अथवा छायाप्रति की नकल जारी की जाती है। नकल प्रार्थनापत्र तीन प्रकार के होते हैं– अति आवश्यक, आवश्यक तथा साधारण। इनके लिए नियमानुसार देय फीस की अलग–अलग दर निश्चित की गयी

है। बही नम्बर तीन तथा बही नम्बर चार की नकल विशेष परिस्थितियों में ही जारी किये जाने का प्राविधान है। निष्पादक की मृत्यु से पूर्व वसीयतनामा की नकल केवल निष्पादक को ही दी जा सकती है तथा निष्पादक की मृत्यु के पश्चात वसीयतनामा की नकल किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। निष्पादक की मृत्यु होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होने के लिए, मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति अथवा नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथपत्र लिया जा सकता है। मुख्तारनामा, गोदनामा अथवा बही नम्बर–चार के लेखपत्रों की नकल निष्पादक की मृत्यु पश्चात केवल मुख्तारनामा, गोदनामा अथवा सम्बन्धित लेखपत्र में अंकित दावेदार को ही जारी की जा सकती

निरीक्षण व तलाश

अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित बही नम्बर–एक तथा इन्डैक्स नम्बर–एक व दो के रजिस्टर सार्वजनिक निरीक्षण के लिये प्रत्येक उप निबन्धक कार्यालय में उपलब्ध है जिनका किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही निरीक्षण किया जाता है तथा बही नम्बर–तीन व बही नम्बर–चार की प्रविष्टियो तथा उससे सम्बन्धित इन्डैक्स की तलाश उप निबनधक कार्यालय द्वारा स्वयं की जाती है। अध्याय–11(ख,ग) में निरीक्षण तथा तलाश हेतु दिये गये पब्लिक यूटिलिटी फार्म को भरकर तथा नियमानुसार शुल्क जमा कर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्थित बही नम्बर एक तथा इससे सम्बन्धित इन्डैक्स नम्बर एक, लेखपत्र के पक्षकारों को नाम व इन्डैक्स नम्बर दो का निरीक्षण कर सकता है। इन्डैक्स नम्बर एक, विलेख के पक्षकारो के नाम से किया जाता है, जिसमें विलेख का विवरण अंकित रहता है तथा इन्डैक्स नम्बर दो, ग्राम/मुहल्ले के नाम से किया जाता है, जिसमें अचल सम्पत्ति के विवरण की प्रविष्टि की जाती है। इन्डैक्स नष्ट होने अथवा उपलब्ध न होने की दशा में प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित बहियों का भी निरीक्षण भी किया जा सकता है। बही नम्बर तीन (वसीयतनामा) तथा बही नम्बर चार (मुख्तारनामा, गोदनामा आदि प्रकीर्ण विलेखों)के इन्डैक्स की प्रविष्टियों का निरीक्षण गोपनीय अभिलेख होने के कारण पक्षकार द्वारा स्वयं नही किया जा सकता है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/कार्यालय द्वारा स्वयं इनका निरीक्षण कर निरीक्षण के परिणाम से आवेदक को नियमानुसार अवगत कराया जाता है। मुख्तारनामा अथवा गोदनामा की प्रविष्टि के सम्बन्ध में भी मुख्तरनामा या गोदनामा में अंकित दावेदार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इसकी सूचना से नियमानुसार अवगत नही कराया जा सकता है। वसीयतनामा की प्रविष्टि के सम्बन्ध में निष्पादक की मृत्यु के पश्चात् कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी है। निष्पादनकर्ता की मृत्यु के सम्बन्ध में

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समुचित समाधान किया जाना आवश्यक है। तलाश हेतु फीस की दरें वही है, जो निरीक्षण के लिए निर्धारित की गयी है।